भारतीय ध्वज संहिता

प्रलिम्सि के लयि:

भारतीय ध्वज संहिता, मौलकि कर्तव्य, राष्ट्रीय ध्वज का इतहिास

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्त्व, राष्ट्रीय ध्वज का वकिास, राष्ट्रीय ध्वज के लयि नयिम और वनियिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय ध्वज **"जहाँ ध्वज खुले में प्रदर्शति कयिा जाता है या कसिी नागरकि के घर पर प्रदर्शति कयिा जाता है, इसे दनि-रात फहराया जा सकता है।"**

- सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलएिस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमतदिने के लयि ध्वज संहिता में संशोधन कयिा था।
- सरकार ने हर घर तरिंगा अभयिान शुरू करने के साथ ही **गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन कयिा है ताकरिात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके।**

भारतीय ध्वज संहिता, 2002:

- इसने ध्वज के **सम्मान और उसकी गरमिा को बनाए रखते हुए तरिंगे के अप्रतबिंधति प्रदर्शन की अनुमतदिी।**
- ध्वज संहिता, ध्वज के सही प्रदर्शन को नयिंत्रति करने वाले पूर्व मौजूदा नयिमों को प्रतसि्थापति नहीं करती है।
  - हालाँकयिह पछिले सभी कानूनों, **परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था।**
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:
  - **पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य ववरिण है।**
  - दूसरे भाग में जनता, नजिी संगठनों, शैक्षकि संस्थानों आदकि सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के वषिय में बताया गया है।
  - संहिता का तीसरा भाग **केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभकिरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के वषिय में जानकारी देता है।**
- इसमें उल्लेख है कि **तरिंगे का उपयोग व्यावसायकि उद्देश्यों के लयि नहीं कयिा जा सकता है।**
- इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या कसिी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लयि नहीं कयिा जाना चाहयि।
- आधकिारकि प्रदर्शन के लयि केवल भारतीय **मानक ब्यूरो द्वारा नरि्धारति वनिरि्देशों** के अनुरूप चहि्न वाले झंडे का उपयोग कयिा जा सकता है।

हर घर तरिंगा अभयिान:

- **'हर घर तरिंगा'** आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्त्वावधान में लोगों को **तरिंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने** के लयि प्रोत्साहति करने हेतु एक अभयिान है।
- ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तगित से अधकि औपचारकि और संस्थागत रहा है।
- स्वतंत्रता के **75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहकि रूप से घर पर फहराना न केवल तरिंगे से व्यक्तगित संबंध स्थापति करना है,** बल्कयिह राष्ट्र-नरि्माण के प्रतहिमारी प्रतबिद्धता का प्रतीक भी बन जाता है।
- इस पहल का उद्देश्य लोगों के दलिों में देशभक्तकिी भावना जगाना और **भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा** देना है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज:

- **परचिय:**

- 1906:
  - ऐसा माना जाता है कि **पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ** शामिल थीं, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में **लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था।**
- 1921:
  - बाद में वर्ष 1921 में **स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या ने महात्मा गांधी** से मुलाकात की और ध्वज के एक **मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें दो लाल और हरे रंग की पट्टियाँ** शामिल थीं।
- 1931:
  - कई बदलावों से गुज़रने के बाद **वर्ष 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप** में अपनाया गया था।
- 1947:
  - 22 जुलाई, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।

- **भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम:**
  - **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950:**
    - यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:**
  - यह राष्ट्रीय ध्वज, **संविधान**, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है।
  - यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिये **संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव** लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है।
    - राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
    - भारत के संविधान का अपमान करना।
    - राष्ट्रगान के गायन को रोकना।
  - **संविधान का भाग IV-A:**
    - **संविधान का भाग IV-A** (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
    - अनुच्छेद 51 A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) यहाँ पिंगली वेंकैया ने तिरंगे (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज) को डिज़ाइन किया था।
(b) यहाँ पट्टाभि सीतारमैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया।
(C) यहाँ रबींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अनुवाद बांग्ला से अंग्रेज़ी में किया।
(D) यहाँ मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओल्कॉट ने सबसे पहले थियोसोफिकल सोसायटी का मुख्यालय स्थापित किया।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **मूल गीत 'जन गण मन' (राष्ट्रगान) बांग्ला में लिखा गया** था।
- गीत का बांग्ला से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का विचार रबींद्रनाथ टैगोर को तब आया जब वे आयरिश कवि जेम्स एच. कजिन्स के निमंत्रण पर बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले के एक छोटे से शहर मदनपल्ले में अपने प्रवास के दौरान इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया।
- भारत की संविधान सभा द्वारा जन गण मन को 24 जनवरी, 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में उद्घोषित किया गया था।

अतः कथन (C) सही उत्तर है।

?????: ?????? ?????????